

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 346 / 2014
संस्थान दिनांक 16.05.2014

नितीन पिता प्रेमलाल जायसवाल,
निवासी- ठीकरी, तहसील ठीकरी,
जिला - बड़वानी म.प्र.

----- परिवादी

वि रू द्ध

मुकेश पिता शोभाराम कहार, आयु 25 वर्ष,
निवासी-दीनदयाल कॉलोनी, स्कूल के पीछे
ग्राम पिपरी (ठीकरी), तहसील ठीकरी,
जिला - बड़वानी म.प्र.

----- अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 29.09.2015 को घोषित)

1. परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दिनांक 25.09.2014 को प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ठीकरी में स्थित खाते का चेक क्रमांक 310303 दिनांक 20.03.2014 को परिवादी को अभियुक्त द्वारा रुपये 3,25,000/- (अक्षरी तीन लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का जारी किये जाने पर उक्त चैक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा नहीं होने के कारण अनादरित होने तथा उक्त धनराशि की मांग का सूचना पत्र दिनांक 01.04.2014 को परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा उक्त राशि भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियुक्त ठीकरी में व्यापार करता है तथा अपने व्यापार एवं निजी कार्य में रूपयों की आवश्यकता होने से अभियुक्त ने परिवादी से नगद कर्ज के रूप में रूपये 3,25,000/- (अक्षरी तीन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) लिये थे तथा उक्त रूपयों को शीघ्र लौटाने का आश्वासन भी दिया था। परिवादी ने अभियुक्त से उक्त रूपयों की मांग कई बार की तब अभियुक्त ने उक्त रूपये के भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा ठीकरी के खाते का चेक क्रमांक 310303 दिनांक 20.03.2014 का रूपये 3,25,000/- (अक्षरी तीन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) का परिवादी के पक्ष में चेक अपने हस्ताक्षर कर जारी किया था। परिवादी द्वारा उक्त चेक भुगतान हेतु अपने खाते भारतीय स्टेट बैंक शाखा ठीकरी में प्रस्तुत किया था, जहाँ से दिनांक 20.03.2014 को बिना भुगतान के इस ज्ञापन मेमो के साथ वापस प्राप्त हुआ कि अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.04.2014 को सूचना पत्र प्रेषित कर चेक की धनराशि की मांग की, उक्त सूचना पत्र दिनांक 08.04.2014 को अभियुक्त को प्राप्त होने पर भी अभियुक्त ने विहित समयावधि में उक्त चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

4. परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.स. के परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया लेकिन किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 20.03.2014 को 3,25,000/- रूपये (अक्षरी तीन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) का चेक क्रमांक 310303 विधिक ऋण दायित्व के उन्मोचन हेतु जारी किया था ?

2. क्या उक्त चेक विधिमान्य अवधि में बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादरित हो गया था ?

3. क्या अभियुक्त ने परिवादी द्वारा उक्त धनराशि की मांग करते हुये पंजीकृत डाक द्वारा उसे दिये गये सूचना पत्र का निर्वाह स्वयं पर टाल दिया और उक्त राशि का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया ?

यदि हाँ, तो उचित दंडाज्ञा ?

6. परिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में परिवादी नितीन (परि.सा.1) के कथन कराए गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। नितीन (परि.सा.1) ने परिवाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि उसकी एवं अभियुक्त की आपस में अच्छी-जान पहचान होने से मित्रवत संबंध है। अभियुक्त ठीकरी में निवास करता है। उसे अपने व्यापार एवं निजी कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता थी। अभियुक्त ने उससे नगद धनराशि 3,25,000/- उधार स्वरूप प्राप्त किये थे तथा शीघ्र लौटाने का आश्वासन भी दिया था। उसने अभियुक्त से उक्त रूपयों की मांग कई बार की तब अभियुक्त ने उक्त रूपये के भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा ठीकरी के खाते का चेक क्रमांक 310303 दिनांक 20.03.2014 का रूपये 3,25,000/- (अक्षरी तीन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) का उसके पक्ष में चेक अपने हस्ताक्षर कर जारी किया था। उसके द्वारा उक्त चेक भुगतान हेतु अपने खाते भारतीय स्टेट बैंक शाखा ठीकरी में प्रस्तुत किया था जहाँ से दिनांक 20.03.2014 को बिना भुगतान के इस ज्ञापन मेमो के साथ वापस प्राप्त हुआ कि अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, तब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.04.2014 को सूचना पत्र प्रेषित कर चेक की धनराशि की मांग की, उक्त सूचना पत्र दिनांक 08.04.2014 को अभियुक्त को प्राप्त होने पर भी अभियुक्त ने विहित समयावधि में उक्त चेक की राशि का भुगतान उसे नहीं किया है, इसलिए उसने यह परिवाद प्रस्तुत किया है। परिवादी ने अपने समर्थन में अभियुक्त द्वारा दिया गया चेक प्रदर्शपी 1 और उसके ए से ए भाग पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर उसके सामने करने, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चेक अनादरहण मेमो प्रदर्शपी 2, चेक जमा पर्ची प्रदर्शपी 3, उसके अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दिया गया सूचना पत्र प्रदर्शपी 4, पोस्टल रसीद प्रदर्शपी 5 तथा सूचना पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्शपी 6 है तथा उनके ए से ए भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

8. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने यह स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को जानता है, जो सब्जी विक्रय करने का व्यापार करता है तथा उसकी अभियुक्त से दोस्ती थी और उसकी दुकान पर अभियुक्त का आना-जाना भी था। अभियुक्त ने दिनांक 20.03.14 का चेक दिया था। उसने जिस दिनांक को अभियुक्त द्वारा चेक दिया था, उसी दिनांक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा ठीकरी में लगाया था तथा चेक की अनादरण की सूचना भी उसी दिन प्राप्त हो गई थी। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दिनांक 20.03.2014 को चेक बैंक में पेश नहीं किया था अथवा उसने उसी दिनांक को बैंक द्वारा चेक अनादरण की सूचना नहीं मिली थी। परिवादी ने स्पष्ट किया कि चेक रुपये 3,25,000/- का था। चेक अनादरण होने के बाद वह चेक लेकर अपने अधिवक्ता के पास गया और उसके अधिवक्ता ने चेक अनादरण के दिनांक के 1 माह के पूर्व सूचना पत्र अभियुक्त को दिनांक 01.04.2014 को दिया था। परिवादी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त को उक्त सूचना पत्र दिनांक 22.04.14 को प्राप्त हो गया था। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने चेक की राशि रुपये 3,25,000/- में से रुपये 1,50,000/- उसे 3 बार किश्तों में दिये थे, जिसकी रसीद उसने अभियुक्त को दी थी जो अभियुक्त के पास है। (परिवादी से पूछा गया उक्त प्रश्न स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है, कि अभियुक्त ने परिवादी ने रुपये 3,25,000/- प्राप्त किये थे)

9. परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने जब उसे 3 किश्त दी थी तब सीताराम पिता लक्ष्मण कोली एवं मांगीलाल पिता बुधिया उपस्थित थे। परिवादी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने उसे एक रूपयो भी नहीं दिया है। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसे कहा था कि शेष धनराशि रुपये 1,75,000/- अभियुक्त उसके खाते में जमा करा देगा, लेकिन उसने पैसे लेने से इंकार कर दिया था। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य परिवाद पेश किया है।

10. परिवादी के कथनों के समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होता है। प्रदर्शनी 1 वह चेक है जो अभियुक्त द्वारा अपने खाते का रुपये 3,25,000/- परिवादी के पक्ष में जारी किया गया है और उक्त चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से भी अनादरति हुआ है जिसका मेमो प्रदर्शनी 2 परिवादी के अधिवक्ता ने प्रदर्शित कराया है। परिवादी ने अभियुक्त को चेक अनादरण की तिथि के 1 माह के भीतर पंजीकृत डाक से प्रदर्शनी 4 का सूचना पत्र भेजा गया, जिसकी प्राप्ति रसीद भी प्रदर्शनी 5 भी परिवादी ने प्रदर्शित कराई है। परिवादी की उक्त साक्ष्य का अभियुक्त की ओर से कोई खण्डन नहीं हुआ है बल्कि परिवादी के प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता ने रुपये 3,25,000/- अभियुक्त को प्राप्त होना और उसमें से रुपये 1,50,000/- का भुगतान परिवादी को वापस 3 किश्तों में अदा करने के संबंध

में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ तक कि अभियुक्त के अधिवक्ता ने उक्त 3 किशतों की अदायगी के समय साक्षी सीताराम एवं मांगीलाल को उपस्थित होना भी बताया है, लेकिन बार-बार समय लेने के उपरांत भी उक्त किसी भी साक्षी का परीक्षण बचाव पक्ष की ओर से नहीं कराया गया है। जबकि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 के प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा परिवादी को चेक की राशि में से कुछ धनराशि वापस अदा कर देने का तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, जो उसने साबित नहीं किया। अभियुक्त ने प्रदर्शपी 1 के चेक पर अपने हस्ताक्षरों से भी इंकार नहीं किया है। यहाँ तक कि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रेषित किया गया सूचना पत्र भी परिवादी के प्रतिपरीक्षण द्वारा प्राप्त होना स्वीकार किया है।

11. ऐसी स्थिति में परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 139 के अनुसार परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा की जायेगी कि परिवादी ने प्रदर्शपी 1 का चेक अभियुक्त को दिये गये ऋण के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया था। उक्त उपधारणा की खण्डन का भार अभियुक्त पर था, जो कि उसने प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दायित्व के अधीन परिवादी को प्रदर्शपी 1 का चेक रुपये 3,25,000/- का प्रदान किया जो परिवादी ने समयावधि में भुगतान प्राप्ति के लिए बैंक में प्रस्तुत किया था, जो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने से अनादरित हुआ और उसका सूचना पत्र अभियुक्त को प्रेषित किये जाने के उपरांत अभियुक्त ने चेक की धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अपराध है जो परिवादी प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः न्यायालय अभियुक्त मुकेश पिता शोभाराम कहार, निवासी ग्राम पिपरी, तहसील ठीकरी जिला बड़वानी को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दोषसिद्ध घोषित करता है।

12. अभियुक्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त निर्धन, कम आयु का एवं मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा विचारण का नियमित रूप से सामना किया है। अतः सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाये तथा परीविक्षा पर रिहा किया जाये, लेकिन प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को तथा समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त मुकेश पिता शोभाराम कहार को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए 6 माह के साधारण करावास से दण्डित करता है।

13. धारा 357 (1) द.प्र.स. के अंतर्गत अभियुक्त परिवादी को प्रतिकर तथा कार्यवाहियों के खर्चे के रूप में रुपये 3,60,000/— (अक्षरी तीन लाख साहठ हजार रुपये मात्र) अदा करेगा। उक्त राशि जुर्माने की भाँति वसूल की जायेगी। प्रतिकर की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त 3 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगा।

14. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. निर्णय की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,
अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 399/2006 (गिरीराज विरुद्ध
हुकुमचंद) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत
करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- हुकुमचंद पिता पूनमचंद यादव
निवासी- ठीकरी, जिला बड़वानी

गिरफ्तारी का दिनांक :- निरंक

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- निरंक

(श्रीमती वन्दना
राज पाण्डेय)
मजिस्ट्रेट अंजड़,
जिला-बड़वानी, म0प्र0

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक

